

राजस्थान सरकार  
राजस्व & ग्रुप-6 & विभाग

क्रमांक :- 906/4/राज-6/2000/23

जयपुर, दिनांक 4-5-2001

-: अधिसूचना :-

राजस्थान भा-राजस्व & कृषि प्रयोजनार्थ आक्टन & नियम, 1970 के नियम 13 के उपनियम 4 के परन्तुक के अनुसरण में राज्य सरकार जनहित में यह आवश्यक समझती है एवं निर्देश देती है कि जिला जालौर हेतु आक्टन प्रयोजन के लिए बैक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर होगी, जिस पंचायत में आक्टन हेतु प्रस्तावित भूमि है।

यह अधिसूचना दिनांक 31-7-2001 तक प्रभावी रहेगी।

राज्यपाल के आदेश से,

एन० एन० शर्मा

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है:-

- 1- निजी सचिव, राजस्व मंत्री/राजस्व राज्य मंत्री/ मुख्य सचिव/राजस्व सचिव।
- 2- निजी सहायक, विरिाठ शासन सचिव राजस्व।
- 3- सहायकीय आयुक्त, जोधापुर।
- 4- जिला कलेक्टर, जालौर।
- 5- निबन्धाक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
- 6- निदेशक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, राज० जयपुर को राजपत्र विरोधात् दिनांक 4-5-2001 में प्रकाशनार्थ।
- 7- "राविरा" राजस्व मण्डल, अजमेर।
- 8- निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर।
- 9- उप निबन्धाक & वित्त एवं लेडा & राजस्व मण्डल, अजमेर।
- 10- रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव